"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2009—माघ 10, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्रमांक ई-01-02/2009/एक/2.—श्री अवध बिहारी, भा. प्र. से. (1991), सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं सचिव, कृषि विभाग, गन्ना आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, कृषि विभाग एवं गन्ना आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री आर. एस. विश्वकर्मा, भा. प्र. से. (1991), सचिव, खनिज साधन विभाग को वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, विमानन विभाग एवं आयुक्त-सह-संचालक, विमानन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

श्री विश्वकर्मा, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एन. के. असवाल, भा. प्र. से. (1985) केवल प्रमुख सचिव, विमानन विभाग के प्रभार से तथा श्री अनिल टुटेजा, रा. प्र. से. संचालक, विमानन के प्रभार से मुक्त होंगे.

3. श्री जूसुफ मिंज, भा. प्र. से. (1997), संयुक्त सचिव, आवास, पर्यावरण तथा नगरीय विकास विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री जूसुफ मिंज, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

4. श्री एस. एल. रात्रे, भा. प्र. से. (2000), अपर कलेक्टर, दुर्ग की सेवायें ग्रामोद्योग विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है तथा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

श्री एस. एल. रात्रे, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री रात्रे, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सी. के. खेतान, भा. प्र. से. (1987) केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के प्रभार से तथा श्री नंदकुमार, भा. प्र. से. (एमएच : 1989), केवल प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रभार से मुक्त होंगे.

6. सुश्री संगीता पी., भा. प्र. से. (2004), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

सुश्री संगीता पी., भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

7. श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा. प्र. से. (2005), अपर कलेक्टर, मोहला (चौकी), जिला-राजनांदगांव की सेवायें नगरीय प्रशासन विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर निगम, भिलाई के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा. प्र. से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत आयुक्त नगर निगम, भिलाई के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

8. श्री एस. प्रकाश, भा. प्र. से. (2005), अपर कलेक्टर, दंतेवाड़ा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/5/2007/1/2.—श्री सी. आर. प्रसन्ना, भा. प्र. से., अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर को दिनांक 27-11-2008 से 05-12-2008 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्ना आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री प्रसन्ना को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्ना अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/05/2005/1/2.—सुश्री शहला निगार, भा. प्र. से., संचालक, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 23-12-2008 से 30-12-2008 तक (08 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री निगार आगामी आदेश तक संचालक, महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री निगार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री निगार अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/46/2004/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से., आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को दिनांक 19-01-2009 से 24-01-2009 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17,18, 25 एवं 26 जनवरी, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें उनके स्वयं के व्यय पर नेपाल (विदेश) की निजी यात्रा पर जाने की अनुमति भी प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला-बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/3/2007/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02-12-2008 के द्वारा श्रीमती आर. शंगीता, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 21-01-2009 से 13-2-2009 तक (24 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, उक्त आदेश में संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 19-01-2009 से 13-02-2009 तक (26 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17, 18 जनवरी तथा 14 एवं 15 फरवरी, 2009 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है. साथ ही उन्हें उनके पति के व्यय पर विदेश पीट्सबर्ग (यू. एस. ए.) जाने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/04/2005/1/2.—श्री अन्बलगन पी., भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया, बैकुण्ठपुर को दिनांक 19-01-2009 से 07-02-2009 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17, 18 जनवरी एवं 08 फरवरी, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अन्बलगन पी. आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया, बैकुण्ठपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अन्बलगन पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्बलगन पी. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री अन्बलगन पी. के उक्त अवकाश अवधि में सुश्री जी. किण्डो, अपर कलेक्टर, कोरिया अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरिया का चालू कार्य सम्पादित करेंगी.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/7/2005/1/2.—श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को दिनांक 19-01-2009 से 07-02-2009 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17, 18 जनवरी एवं 08 फरवरी, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलरमेलमंगई डी. आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती अलरमेलमंगई डी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलरमेलमंगई डी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2009.

क्रमांक ई-7/9/2007/1/2.—श्री पी. दयानन्द, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 12-12-2008 से 02-01-2009 तक (22 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. दयानन्द आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पी. दयानन्द को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. दयानन्द अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/3/2006/1/2.—श्री जे. मिंज, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास, पर्यावरण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 22-12-2008 से 03-01-2009 (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 दिसम्बर, 2008 तथा दिनांक 04-01-2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास, पर्यावरण तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/11/2007/1/2.—श्री एस. भारती दासन, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, कबीरधाम को दिनांक 26-08-2008 से 28-08-2008 तक (03 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. भारती दासन आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, कबीरधाम के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एस. भारती दासन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. भारती दासन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक ई-7/1/2007/1/2.—श्री एस. प्रकाश, भा. प्र. से., अपर कलेक्टर, द. ब. दन्तेवाड़ा को दिनांक 12-01-2009 से 27-01-2009 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 जनवरी, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. प्रकाश आगामी आदेश तक अपर कलेक्टर, द. ब. दन्तेवाड़ा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एस. प्रकाश को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. प्रकाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2009

क्रमांक 170/104/2009/1/2.—श्री पि. रमेष कुमार, भा. प्र. से., आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 26-12-2008 से 27-12-2008 तक 02 (दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 25 एवं 28 दिसम्बर, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पि. रमेष कुमार, आगामी आदेश तक आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पि. रमेष कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पि. रमेष कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 6-21/2008/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय डॉ. दुर्गा शरण चन्द्रा, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को दिनांक 23-10-2008 से 20-11-2008 तक 29 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक 13/13/ऊ. वि./2008.—राज्य शासन, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 54) की धारा 5 अन्तर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल को एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम सं. 36) की धारा 172 (अ) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपेक्षित कृत्यों को 31-07-2008 की अवधि से 31-12-2008 तक निर्वहन हेतु अधिकृत किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देबासीष दास, विशेष सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

Raipur, the 13th January 2009

F. No. 1-38/2007/12.—In the Notification regarding Chhattisgarh Geology and Mining Class III (Executive service recruitment) rule, 2008 published in the "Chhattisgarh Rajpatra", No. 48, Part-I the 28th November 2008, the following be read :—

CORRIGENDUM

1.	Page No. 3162 Col. (6)	For :	diploma in Mining Engineering
		Read :	degree in Mining Engineering

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. S. VISHWAKARMA, Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक 52/1154/32/2007.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 1187/1154/32/2007 दिनांक 19-06-2008 द्वारा ग्राम खोखराभाठा, जांजगीर विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

जांजगीर विकास योजना उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खोखराभाठा (जांजगीर)	2671 एवं 2711	5.61	वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	आवासीय
		कुल योग	**5.61 (2.270 हे.)**		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा ग्राम खोखराभाठा जांजगीर विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण जांजगीर विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 5-1/दो/आठ-परि./09.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 क्र. 59) की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (01) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशन किया जा चुका है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 77, के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्त: स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(1-क) प्रत्येक मंजिली गाड़ी अनुज्ञा-पत्र अथवा ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र, की यह शर्त होगी कि उक्त अनुज्ञा-पत्र, किसी एक समय में दो माह से अधिक के लिए निष्प्रयोग में नहीं रखा जावेगा, तथा उक्त अनुज्ञा-पत्र की वैधता के दौरान ऐसे निष्प्रयोग की कुल अवधि आठ माह से अधिक नहीं होगी. यदि वाहन में तकनीकी खराबी अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण, अनुज्ञा-पत्र दो माह से अधिक के लिए निष्प्रयोग में रखा जाता है, अथवा अन्य कारणों से, अनुज्ञा-पत्र से आच्छादित वाहन दो माह से अधिक के लिए संचालित नहीं है, तो अनुज्ञापत्रधारी को समान विशिष्टयों की वाहन से प्रतिस्थापन करना होगा, या अनुज्ञा-पत्र को निरस्तीकरण हेतु अनुज्ञा स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के समक्ष समर्पित करना होगा".

No. F 5-1/दो/आठ-परि./09.—In exercise of the powers conferred by sections 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam 1994, the same having been published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act, with effect from its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

In the said rules,—

After sub-rule (1) of rule 77, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1-A) It shall be condition of every stage carriage permit or contract carriage permit that the said permit shall not be kept in non use for more than two months at a time and during the validity of said permit, the total duration of such non use shall not be more than eight months. Due to technical break down or accident of vehicle, if the permit is kept in non use for more than two months or for other reasons, if the vehicle of the permit is not operated for more than two months than the permit-holder shall have to replace the vehicle of same specifications or the permit shall be surrendered for cancellation before the authority granting the permit."

रायपुर, दिनांक 15 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 5-2/दो/आठ-परि./09.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 क्र. 59) की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशन किया जा चुका है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 64 के उप-नियम (1) के खण्ड "क" के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"1. (क) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव निम्नानुसार उनके सम्मुख विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए होंगे :—

स. क्र.	अधिकारी	जिलों से बने क्षेत्र के लिए
1.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम
2.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़
3.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर	बस्तर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर
4.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुरनगर, कोरिया"

No. F 5-2/दो/आठ-परि./09.—In exercise of the powers conferred by sections 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam 1994, the same having been published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act, with effect from its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

In the said Rules :—

for clause (a) of sub-rule (1) of Rule 64, the following clause shall be substituted, namely :—

"1. (a) The Secretary to the Regional Transport Authority shall be as under for the area specified against them :—

S. No.	Officer	For the area consisting district of
1.	Regional Transport Officer, Raipur	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Durg, Rajnandgaon, Kabirdham.
2.	Regional Transport Officer, Bilaspur	Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa, Raigarh
3.	Regional Transport Officer, Jagdalpur	Bastar, Kanker, Dantewara, Narayanpur, Bijapur.
4.	Regional Transport Officer, Ambikapur	Sarguja, Jashpur-nagar, Korea"

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक एफ 5-3/दो/आठ-परि./09.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 क्र. 59) की धारा 138 (2) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशन किया जा चुका है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा.

संशोधन

उक्त नियमों में,

नियम 214 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 127 की उपधारा (3) तथा धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन भिन्न-भिन्न यानों के संबंध में देय अनुकर्षण व्यय, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा, अर्थात् :—

क्र.	वाहन के प्रकार	अनुकर्षण व्यय
1.	स्कूटर, मोटर-साईकिल	रु. 100.00 प्रतियान
2.	हल्के मोटरयान, (कार, जीप, आटो-रिक्शा आदि)	रु. 200.00 प्रतियान
3.	भारी मोटरयान (खाली ट्रक, बस)	रु. 300.00 प्रतियान
4.	भारी मोटरयान (भरे हुए ट्रक, बस)	रु. 350.00 प्रतियान
5.	मध्यम मोटरयान	रु. 250.00 प्रतियान"

No. F 5-3/दो/आठ-परि./09.—In exercise of the powers conferred by sections 138 (2) of the Motor Vehicles Act. 1988 (No. 59 of 1988), the State Government hereby amends the Chhattisgarh Motoryan Niyam 1994, the same having been published as required by Sub-section (1) of Section 212 of the said Act, with effect from its publication in the official Gazette.

AMENDMENT

In the said Rules,

for sub-rule (3) of Rule 214, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) Towing costs payable under sub-section (3) of Section 127 and sub-section (1) of Section 201 of the Motor Vehicles Act, 1988 in respect of different vehicles shall be levied as specified below, namely :—

S. No.	class of vehicles	Towing cost
1.	Scooter, Motor-Cycle	Rs. 100.00 per vehicle
2.	Light Motor Vehicle (Car, Jeep, Auto-Rickshaw) etc.	Rs. 200.00 per vehicle
3.	Heavy Motor Vehicle (Empty Truck, Bus)	Rs. 300.00 per vehicle
4.	Heavy Motor Vehicle (Loaded Truck, Bus)	Rs. 350.00 per vehicle
5.	Medium Motor Vehicle	Rs. 250.00 per vehicle"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक/528/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मुडपार प. ह. नं. 29	0.54	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मुडपार एनीकट बांधपार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक/529/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	खलारी प. ह. नं. 29	0.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मुडपार एनीकट बांधपार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 19 दिसम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रावनखोंदरा प. ह. नं. 27	2.553	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना धनगांव वितरक नहर निर्माण के अंतर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 दिसम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	पुटकापुरी प. ह. नं. 25	7.414	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना धनगांव वितरक नहर निर्माण के अंतर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 दिसम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	धनगांव प. ह. नं. 26	4.909	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना धनगांव वितरक नहर निर्माण के अंतर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 दिसम्बर 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	घुघुवा प. ह. नं. 28	1.508	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, रायगढ़.	केलो परियोजना धनगांव वितरक नहर निर्माण के अंतर्गत निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 19 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कुदमुरा	$7.48\frac{1}{2}$	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (भ./स.) संभाग, कोरबा.	कुदमुरा से हाटी धरमजयगढ़ मार्ग निर्माण प्रयोजन.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./6/अ 82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	ओटगन प. ह. नं. 6	530/3	0.060	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प., डिसनेट क्र.-3, तिल्दा (तुलसी)	सिमगा वितरक नहर माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.
			541	0.012		
			550/5	0.053		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			545, 550/4	0.077		
			546	0.036		
			550/3	0.129		
			547/1	0.081		
			549/1, 550/2	0.028		
			549/2, 550/6	0.085		
			563/3	0.663		
			540	0.057		
		योग	11	1.281		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/8 अ/82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	खरोरा	बरौण्डा प. ह. नं. 33	226/4	0.753	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	सारागांव टारबांध योजना हेतु भू-अर्जन.
			226/5	0.806		
			226/8	0.202		
			226/9	0.219		
			226/11	0.101		
			227	0.162		
			239/1	0.198		
			239/2	0.222		
			239/3	0.206		
			239/4	0.405		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			270/1	0.115		
			270/2	0.116		
			274/1	0.187		
			292/1	0.085		
			292/2	0.085		
			305	0.704		
			283/2	0.142		
			288/3	0.247		
			247/2	0.121		
		योग	19	5.076		

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/19/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	कामता प. ह. नं. 16	1235/17	0.397	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्रमांक 3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक 2 निर्माण हेतु.
		योग		0.397		

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/20/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	दुलदुला प. ह. नं. 12	29	1.75	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्रमांक 3, तिल्दा.	सिमगा वितरक नहर के निर्माण हेतु.
			योग	1.75		

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/21/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	पौंसरी प. ह. नं. 15	22	1.05	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्रमांक 3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक-3 निर्माण हेतु.
			योग	1.05		

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/22/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	औरैठी प. ह. नं. 15	15	1.197	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्रमांक 3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	सिमगा वितरक नहर के माइनर क्रमांक-2 निर्माण हेतु.
			योग	**1.197**		

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ.वि.अ./भू-अर्जन/23/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	टेहका प. ह. नं. 5/41	455/1	0.004	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग, क्रमांक 3, तिल्दा, जिला-रायपुर.	दतरेंगी वितरक नहर के निर्माण हेतु.
			442/1	0.089		
			442/2	0.004		
			410/1	0.061		
			411	0.259		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			409	0.004		
			412	0.178		
			408	0.134		
			404	0.303		
			328/3	0.040		
			403	0.385		
			329	0.223		
			402	0.045		
			371/1	0.190		
			371/4	0.020		
			370	0.320		
			393	0.146		
			369/1	0.008		
			369/2	0.235		
			373	0.194		
			368/1	0.113		
			367	0.024		
			374	0.215		
			375/1	0.069		
			375/3	0.049		
			380	0.117		
			379/1	0.19		
			379/2	0.065		
			374/4	0.097		
			378/2	0.004		
			392/2	0.004		
			358	0.527		
			394	0.081		
			357	0.333		
		योग	**34**	**4.730**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 जनवरी 2009

क्रमांक 530/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कौरिनभाठा, प. ह. नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.01/2 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
79/13	0.01/2
योग	0.01/2

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विश्राम भवन पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 3 जनवरी 2009

क्रमांक/02/अ.वि.अ./भू-अर्जन/05 अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-मेमरा, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
502	0.06
499/1	0.07
569	0.13
567	0.07
660/2	0.04
661/2	0.11
619	0.09
575	0.23
499/2	0.13
566/5	0.09
577	0.16
566/4	0.13
576	0.05
573	0.01
622	0.25
501	0.03

(1)	(2)
503	0.01
योग 17	1.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मेमरा जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भेलवाटिकरा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.581 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
277	0.315
289/1	0.049
290	0.049
293/1	0.712
291	0.453
292	0.032
293/2	0.278
294/2	0.174
287/1	0.263
287/2	0.146
11	1.000
17	0.100
14/7	0.010
योग 13	3.581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- केलो परियोजना-सेडल II एवं पुनर्वास स्थल तक सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरलिया, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.927 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
192/2	0.037
192/3	0.036
192/4	0.016
192/5	0.020

(1)	(2)
193	0.105
195	0.032
200	0.146
246	0.190
225/2	0.105
220/1	0.065
220/2	0.126
221/1	0.162
223/11	0.089
241/2	0.065
223/1	0.085
223/9	0.041
221/2	0.243
242/1	0.081
222/1	0.748
242/3	0.316
223/3	0.089
223/10	0.032
224	0.448
225/1	0.146
226/1	0.004
226/2	0.008
242/2	0.312
243	0.146
244/1	0.089
244/2	0.089
247/1	0.032
247/2	0.170
202/2	0.010
82/1	0.175
83	0.393
341/3	0.076
योग 36	4.927

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- केलो परियोजना-सेडल II एवं पुनर्वास स्थल तक सड़क निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06 /अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सियारपाली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.037 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
151/1	0.466
152/3	0.146
151/2	0.405
152/1	0.259
151/3	0.466
152/2	0.295
योग 6	2.037

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 जनवरी 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-24.964 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
29	3.877
33/4	0.004
158/3	0.089
158/2	0.061
35/3	0.065
37/2	0.065
59/8	0.809
93	1.627
36/2	0.081
36/8	0.045
36/9	0.085
59/3	0.890
98/2	1.526
158/11	0.115
158/22	0.170
48/2	0.066
31/1	0.202
33/2	0.008
149/8	1.214
37/1	0.040
35/2	0.154
34	0.162
31/3	0.121
31/5	0.069
33/1	0.004
37/3	0.041
59/7	1.214
52/4	0.405
36/1	0.275
36/5	0.227
49	0.494
88/3	3.711
97/2	1.011
47	0.182
158/13	0.130
158/24	0.076
48/3	0.066
48/4	0.066
96	0.817
36/3	0.044
36/6	0.121
40/4	0.243
38	0.259
31/4	0.223
32	0.016
35/1	0.064
33/3	0.004
33/5	0.008
52/5	0.405
36/4	0.040
40/2	0.405
40/3	0.405
91/2	0.539
62-	0.640
158/1	0.144
158/16	0.061
49/1	0.065
158/21	0.040
158/7	0.140
50	0.664
36/7	0.045
158/4	0.125
योग 62	24.964

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/क/वा/भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./15/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भटगांव, प. ह. नं. 116
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.360 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	237/7, 237/10	0.150
	239/1, 239/2, 239/3	0.210
योग		0.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-रॉ वाटर ग्रेविटी मेन पाईप लाईन बिछाने हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/क/वा/भू.अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./18/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मठपुरैना, प. ह. नं. 105
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.37 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	27/2, 28/1	4.37
योग	2	4.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-जल शुद्धिकरण संयंत्र हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ.वि.अ./भू अर्जन/30/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-माना, प. ह. नं. 116
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
491/1, 492/1	0.121

(1)	(2)
491/2, 492/2	0.129
योग	0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रॉ वाटर ग्रेविटी मेन पाईप लाईन बिछाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक 20/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.61 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
106/2	0.25
599/1	0.35
400/1	0.05
588	0.10
589	0.08
584/2	0.09
684/1	0.22
692/1	0.22
810/1 ख	0.18
590	0.18
77/1	0.17
81/1, 82/1, 83/1	0.38
412	0.03
592	0.13
601	0.01
393/1.	0.18
112/3, 113/3, 117/2	0.30
138/5	0.10
139	0.07
358/1	0.22
120/2	0.05
363/1	0.43
584/1	0.09
811/1	0.30
838, 839	0.10
116/2	0.03
359/1	0.17
405/1	0.11
593/2	0.18
402	0.18
693	0.40
597	0.05
79/2	0.28
112/1, 113/1, 117/1	0.08
333	0.64
361/2	0.20
821/1	0.29
112/2	0.08
356/2	0.71
409/2	0.19
814/2	0.21
591/2	0.07
15	0.30
595	0.23
598/1	0.06
586/1	0.08
138/2	0.18
111/2	0.28
696/3	0.06
16/1	0.36

(1)	(2)
409/1	0.19
698/1	0.29
106/1, 106/3	0.15
118/2	0.16
119/1	0.32
137	0.10
119/2	0.18
120/1	0.48
331	0.18
359/2	0.17
411	0.06
594/1	0.19
696/1	0.13
811/2	0.30
812/2	0.50
421	0.20
587	0.09
591/1	0.06
79/1	0.29
357	0.06
582	0.12
403/1	0.28
583/1	0.08
75, 77/3	0.17
105/2	0.22
686	0.80
596	0.15
695	0.10
14	0.50
105/1	0.10
329	0.05
362	0.16
698/2, 699	0.26
697	0.11
811/7	0.25
112/4	0.08
819/1	0.20
80/1	0.13
101	0.18
103	0.29
404	0.06
840/3	0.83
841/1	0.18
842/1	0.16
841/2	0.19
842/2	0.16
योग 91	19.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गूजरनाला जलाशय योजना नहर.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक 21/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-मालाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.52 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
308/2	0.08
586/2	0.08
213/8	0.17
314	0.38
308/3	0.08
593/1	0.21
192/1	0.24
313/1	0.12
689/2	0.51
577/1	0.13
310/2	0.24
587/2	0.15
312/1	0.10

(1)	(2)
313/4	0.12
209	0.18
194/4	0.12
586/1	0.22
694/1	0.31
192/4	0.30
213/2	0.10
698/1 क, 696/1 ग	0.42
692/2	0.14
305/1	0.23
308/1	0.16
311	0.20
76/2	0.08
689/1	0.12
587/1	0.15
212/1	0.02
692/1	0.21
193/1	0.09
212/2	0.03
194/3	0.12
694/4	0.22
312/2	0.10
576	0.56
590/2, 591/2	0.05
194/1	0.20
210/1	0.19
213/1	0.69
584	0.35
192/5	0.18
192/7	0.20
313/3	0.22
196/3	0.13
590/3	0.09
591/3	0.17
592/4	0.14
210/4	0.11
210/2	0.11
योग 49	9.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गूजरनाला जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2008

क्रमांक 26/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-बिलासपुर
  (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
  (ग) नगर/ग्राम-गिरारी
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-20.93 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
52/1	0.39
53	0.16
70/3	0.84
70/4	0.34
152	0.22
86/1	0.24
86/2	0.30
70/1	0.32
91/2	0.08
70/2	0.53
71	0.10
76	2.30
86/3	0.24
90	0.54
91/1	0.80
67/2	0.11
68/2	0.04
85	1.00
87	1.38
14/1	0.78
14/2	0.35
24	4.69
25	0.34
26/1	3.35

	(1)	(2)
	26/2	1.49
योग	22	20.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपरखुज्जी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2008

क्रमांक 1/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-कुदरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.93 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	689/1	0.14
	688/1, 740/1	0.14
	739	0.21
	689/2	0.09
	685/5	0.13
	752/1	0.33
	685/3	0.11
	752/3	0.34
	683/1	0.09
	683/7	0.09
	685/2	0.26
योग	11	1.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अपरखुज्जी जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 7th January 2009

No. 04/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place mentioned in Column No. (4) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office. viz. :—

TABLE

Sr. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Amrit Karketta, I Civil Judge Class-II.	Bemetara	Konta	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Pankaj Kumar Sharma, Civil Judge Class-II.	Korba	Kharsiya	Raigarh	Civil Judge Class-II
3.	Shri Deepak Kumar Gupta, I Civil Judge Class-II.	Raipur	Keshkal	Bastar (Jagdalpur)	Civil Judge Class-II
4.	Shri Sunil Kumar Nande, II Civil Judge Class-II.	Raigarh	Takhatpur	Bilaspur	Civil Judge Class-II
5.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur, III Civil Judge Class-II.	Raipur	Janakpur	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II
6.	Shri Shyam Sundar Kashyap, II Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Pali	Korba	Civil Judge Class-II
7.	Shri Ajay Singh Rajput, III Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Saja	Durg	Civil Judge Class-II
8.	Shri Anish Dubey, VII Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Dalli-Rajhara	Durg	Civil Judge Class-II
9.	Shri Satyendra Kumar Mishra I Civil Judge Class-II.	Durg	Kartala	Korba	Civil Judge Class-II
10.	Shri Ashish Pathak, II Civil Judge Class-II.	Mahasamund	Lormi	Bilaspur	Civil Judge Class-II
11.	Shri Chandra Kumar Kashyap, X Civil Judge Class-II.	Durg	Marwahi	Bilaspur	Civil Judge Class-II
12.	Shri Shrikant Shrivas, V Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Dondilohara	Durg	Civil Judge Class-II
13.	Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, II Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Pithoura	Mahasamund	Civil Judge Class-II
14.	Shri Mukesh Kumar Patre, XIV Civil Judge Class-II.	Raipur	Mungeli	Bilaspur	Civil Judge Class-II
15.	Shri Jagdish Ram, I Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Bhatgaon	Raipur	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 7th January 20[illegible]

No. 06/Confdl./2009/II-3-1/2009.—The following candidates as mentioned in column No. (2) appointed on probation as Civil Judges Class-II in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, are posted at the places in the capacity as shown against their names in column No. (3) of the table below with a direction

to join their place of posting positively within 15 days from the date of receipt of this Order :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Shri Achchhey Lal Kachhi, S/o Shri Ramcharan, 980-1/A, New Shastri Nagar, Nagpur Road, Garha, Jabalpur (M. P.) Pin-482003.	II Civil Judge Class-II, Ambikapur
2.	Ku. Smita Ratnawat, D/o Shri Jagdishchandra Ratnawat, Adhivakta, Road No.-03, Kalakhet, Mandsaur (M. P.) Pin-458001.	I Civil Judge Class-II, Raipur
3.	Shri Amit Rathore, S/o Shri Kanhaiyya Lal Rathore, 12 Ravindra Nagar, Near Ambedkar Bhawan, Khargone (M. P.), Pin-491001.	I Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
4.	Shri Sumit Kapoor, S/o Late Shri Shivdayal Kapoor, D-459, Nehru Nagar, Bhopal (M. P.), Pin-462003.	II Civil Judge Class-II, Raigarh
5.	Shri Krishnpal Singh Bhaduria, S/o Late Shri Brijbhushan Singh, 41,42/17, Rajput Boarding Gali, Jhansi Road, Bhind (M. P.), Pin-477001.	Civil Judge Class-II, Korba
6.	Shri Om Prakash Jaiswal, S/o Shri Haldhar Prasad, Village & Post-Pendravan via-Sarsiva, Distt. Raipur (C. G.), Pin-493559.	III Civil Judge Class-II, Jagdalpur
7.	Shri Balram Prasad Verma, S/o Shri Pardesi Ram Verma, Advocate, Kachehri Parri, Ward No.-2, Bemetara, Distt. Durg (C. G.), Pin-491335.	V Civil Judge Class-II , Jagdalpur
8.	Shri Santosh Kumar Mahobiya, S/o Shri Devnarayan, Tulsipur Ward No.-16, Rajnandgaon (C. G.), Pin-491441.	V Civil Judge Class-II, Ambikapur
9.	Ku. Mona Sonwani, D/o Shri Hemlal, Ward-03, Purana Thana Para, Bagbahra, Mahasamund (C. G.) Pin-493449.	II Civil Judge Class-II, Bilaspur
10.	Ku. Vandana Verma, D/o Shri Shyamrat Verma, C/o Shri Sureshchandra Sharma, Plot No. 218/19, Behind Water Tank, Lakholi, Rajnandgaon, Distt.-Rajnandgaon (C. G.), Pin-491 442.	VII Civil Judge Class-II, Bilaspur
11.	Shri Santosh Thakur, S/o Shri Sampat Singh Thakur, H. No.-09/999, Near Ayyappa Temple, Bharatiya Nagar, Bilaspur (C. G.), Pin-495001.	I Civil Judge Class-II, Durg
12.	Shri Narendra Kumar, S/o Late Shri Arjun Ram, Village-Bhulandabhri, Post Gurur, Distt. Durg (C. G.), Pin-491227.	X Civil Judge Class-II, Bilaspur
13.	Ku. Monika Jaiswal, D/o Shri Harish Chandra Jaiswal, C/o Shri Vishvanath Yogi, A-23, Priyadarshani Nagar, Bilaspur (C. G.), Pin-495001.	III Civil Judge Class-II, Raipur

(1)	(2)	(3)
14.	Shri Deepak Kumar Koshle, S/o Shri Johar Lal Koshle, Qtr. No. D/102, Guru Ghasidas Colony, Head Post Office, Raipur (C. G.), Pin 492001.	I Civil Judge Class-II, Bemetara
15.	Shri Damarudhar Chouhan, S/o Shri Chaitram Chauhan, C/o Shri A. K. Patnaik, Advocate, Ramgudipara, Raigarh (C. G.), Pin-496001.	XIV Civil Judge Class-II, Raipur
16.	Shri Roop Narayan Pathare, S/o Shri Tirath Ram Pathare, Qtr. No. PQR/02, Officer Block, New Police Line, Durg (C. G.), Pin-491001.	II Civil Judge Class-II, Rajnandgaon
17.	Shri Pankaj Alok Tirkey, S/o Shri Raphel Tirki. H. No. K-5, Guruteg Bahadur Nagar, New Puraina, Post Ravigram, Distt. Raipur (C. G.), Pin-492006.	XV Civil Judge Class-II. Raipur
18.	Shri Anil Kumar Pandey, S/o Shri Bholanath Pandey, Banaras Road. near TCPC, Ambikapur, District Surguja (C. G.), Pin-497001.	II Civil Judge Class-II, Mahasamund
19.	Shri Ashok Kumar Lal, S/o Shri Gokaran Nath Lal, District Prosecution Office, Room No. 6, Court Premises, Jagdalpur, Distt. Bastar (C. G.). Pin-494553.	X Civil Judge Class-II. Durg
20.	Shri Jitendra Kumar Singh, S/o Shri Surendra Singh, South From Govt. Primary School, near Vivek Traders, Godhanpur, Ambikapur-Surguja (C. G.), Pin-497001.	XVI Civil Judge Class-II, Raipur
21.	Ku. Rashmi Mandavi, D/o Shri Dev Ram Mandavi, Additional Collector, Qtr. No. E/08, Lal Bagh, Jagdalpur, Distt. Jagdalpur (C. G.), Pin 494001.	XI Civil Judge Class-II, Durg
22.	Ku. Yashoda Kashyap, D/o Shri Sukru Ram Kashyap, Qtr. No. 565 (II) FOH COLONY, Post-Bacheli, Distt. Dantewara (C. G.), Pin-494553.	XII Civil Judge Class-II, Durg

Bilaspur, the 7th January 2009

No. 110/JOTI/Ist Part Ind./2008 Batch/09.—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted as the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officer's Training Institute, (JOTI), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 11-01-2009 by 4:00 PM for undergoing the First Part of Institutional Training Programme to be held from 12th January, 2009 to 10th of February, 2009.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Ku. Radhika Saini	VI Civil Judge Class-II, Raipur
2.	Shri Manish Kumar Dubey	III Civil Judge Class-II. Durg

(1)	(2)	(3)
3.	Shri Shailendra Chauhan	III Civil Judge Class-II, Raigarh
4.	Shri Umesh Kumar Chauhan	II Civil Judge Class-II, Dhamtari
5.	Ku. Jyoti Agrawal	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Smt. Vibha Pandey	VIII Civil Judge Class-II, Raipur
7.	Smt. Kiran Thawait	IX Civil Judge Class-II, Raipur
8.	Ku. Deepa Katare	X Civil Judge Class-II, Raipur
9.	Shri Shailesh Sharma	Civil Judge Class-II, Kawardha
10.	Shri Santanu Kumar Deshlahare	I Civil Judge Class-II, Janjgir
11.	Shri Abhishek Sharma	IV Civil Judge Class-II, Durg
12.	Ku. Anju Gupta	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
13.	Shri Anand Prakash Dixit	Civil Judge Class-II, Baloda Bazar, District-Raipur
14.	Ku. Uadai Laxmi Parmar	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur
15.	Ku. Chhaya Singh Baghel	VII Civil Judge Class-II, Durg
16.	Shri Gyan Prakash Tiwari	Civil Judge Class-II, Bhatapara, District-Raipur
17.	Shri Vikram Pratap Chandra	Civil Judge Class-II, Jashpurnagar
18.	Shri Vinay Kumar Pradhan	Civil Judge Class-II, Khairagarh, District-Rajnandgaon.
19.	Shri Balram Kumar Dewangan	II Civil Judge Class-II, Dantewara
20.	Shri Jagmohan Shankar Patel	Civil Judge Class-II, Bhanupratappur, District-Uttar Bastar (Kanker).
21.	Shri Ganesh Ram Patel	Civil Judge Class-II, Pratappur, District-Surguja Ambikapur.
22.	Ku. Pusplata Markande	II Civil Judge Class-II, Bemetara, District-Durg
23.	Shri Krishna Kumar Suryavanshi	Civil Judge Class-II, Gariyaband, District-Raipur
24.	Ku. Chitra Lekha Sonwani	Civil Judge Class-II, Sakti, District-Janjgir-Champa
25.	Shri Bhupendra Kumar Vasnikar	XI Civil Judge Class-II, Raipur
26.	Shri Krishna Kant Bhardwaj	Civil Judge Class-II, Manendragarh, District-Koriya (Baikunthpur).

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

(A)	Code of Civil Procedure
(B)	Code of Criminal Procedure
(C)	Evidence Act
(D)	Limitation Act
(E)	Indian Penal Code
(F)	Rules & Orders-Civil & Criminal
(G)	Stamp & Court Fees Act
(H)	Arms Act
(I)	C. G. Excise Act
(J)	Legal Services Authority Act, 1987 (with C. G. Rules)

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.